भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1329

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तटीय और समुद्री साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना

†1329. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों, विशेषकर विशाखापत्तनम जैसे तटीय शहरों में स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग और कयाकिंग जैसी तटीय साहसिक पर्यटन कार्यकलापों में वृद्धि की संभावनाओं का आकलन किया है;

(ख) क्या उक्त तटीय क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले जल-आधारित पर्यटन की पेशकश करने वाले ऑपरेटरों के लिए कोई सुरक्षा मानक, प्रमाणन की आवश्यकता या प्रशिक्षण प्रोटोकॉल जारी या अनुशंसित किए गए हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार तटीय और समुद्र-आधारित साहसिक पर्यटन के लिए अवसंरचना, स्थानीय क्षमता और कुशल गाइड तैयार करने हेतु राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान कर रही है;

(घ) क्या सुरक्षा, पारिस्थितिकी और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर स्थायी पर्यटन मॉडल बनाने के लिए एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) और संबंधित समुद्री सुरक्षा प्राधिकरणों जैसे निकायों के साथ कोई सहयोग चल रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' के माध्यम से देश में साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और उनके द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यधीन उन्हें मंजूरी दी जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के साथ मिलकर मॉडल साहसिक सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत ढाँचा स्थापित करना है। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और उन्हें तैयार करने/अद्यतन करने के लिए भेजे गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहस से संबंधित सभी कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

*****